पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website: prsu.ac.in
Email – dradmin@prsu.ac.in

क्रमांक / 1291 / सा.प्रशा. / 2022 रायपुर दिनांक 29 / 03 / 2022

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषयः– पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने विषयक।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि संलग्न पत्र का अवलोकन करेंगे। संलग्न पत्र छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से आदेश के रूप में जारी किया गया है, जो कि फर्जी एवं कूटरचित है। यह आदेश पत्र शासन, विभाग, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं छात्र–छात्रों के मध्य भ्रम फैलाने के लिए बदनीयत से विभिन्न शोसल मिडिया में परिभ्रमित किया जा रहा है।

महोदय, आप से निवेदन है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके विरूद्ध विधिवत कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

सादर,

संलग्न : उपरोक्तानुसार 01 पृष्ठ।

29.3.22
कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक 1292 / सा. प्रशा. / 2022 रायपुर दिनांक 29 / 03 / 2022
प्रतिलिपिः

1. थाना प्रभारी, सरस्वती नगर थाना, जी.ई. रोड, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. साइबर क्राईम थाना प्रभारी, सिविल लाईन थाना, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. समस्त प्राचार्य, संबद्ध महाविद्यालय को इस आशय के साथ सूचित हो कि संलग्न पत्र फर्जी होने की सूचना परीक्षार्थियों तक परिसंचरित कराने का कष्ट करेंगे।
6. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वरि. अधीक्षक (सा.प्रशा.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर
——000——

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.03.2022 दिन मंगलवार के दिन सभी माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय सदस्यों के उपस्थिती में यह निर्णय लिया गया की दिनांक 28.03.2022 (क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1::) को पारित किया गया निर्णय (जिसमे महाविद्यालयों में अध्यनरत सभी छात्रों को अगले कक्षा में पदोन्नती करने निर्णय लिया गया था) वह रद्द किया जाता है। हमनें विगत कुछ वर्षो में देखा कि छात्रों के पदोन्नती के कारण हमारा शिक्षा स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। वर्तमान में जो छात्र महाविद्यालय में तृतीय वर्ष में अध्ययनरत है उन्होंने ने एक भी बार ऑफलाइन मोड में परीक्षा नहीं दी है। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हम अपना निर्णय वापस लेते है।

महाविद्यालयों को यह आदेश दिया जाता है वह ऑफलाइन मोड में परिक्षा लेने कि तैयारी प्रारंभ कर दे, तथा छात्रों से निवेदन करते है कि वह परिक्षा के तैयारी में लग जायें

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(खेमराज साहू)
उप सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग